कार्यालय जिलाधिकारी, हरिद्वार।

संख्या 1163 /एल0बी0ए0–2023 दिनांक 21 जून, 2023

विषय– मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या–213/2023 Palla & Ors. Vs. State of Uttarakhand में पारित आदेश दिनांक 28.04.2023 के अनुपालन के संबंध में।

Shri. Rahul Verma
Advocate (L.L.M.)
Supreme Court Of India
Additional Advocate General
State Of Uttarakhand
137, Tower No. 10,
Supreme Enclave, Mayur Vihar Phase-1,
Delhi-110091
Mobile No. 9717706032

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र दिनांक 19.05.2023 एवं सदस्य सचिव मुख्यालय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून के कार्यालय पत्र संख्या–यूकेपीसीबी0/एच0ओ0/सा0–183–683/2023/264 दिनांक 22.05.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें उल्लिखित हैं कि मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या–213/2023 Palla & Ors. Vs. State of Uttarakhand में पारित आदेश दिनांक 28.04.2023 के अनुपालन के संबंध में हैं। प्रकरण नगर पंचायत भगवानपुर द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट को ग्राम मक्खनपुर महमूद आलमपुर, शाहपुर तहसील भगवानपुर जिला हरिद्वार में सोलानी नदी में डाले जाने के संबंध में हैं। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा विषयगत प्रकरण पर नियमानुसार निरीक्षण करते हुए उपचारात्मक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित विभागों की संयुक्त कमेटी का गठन किया गया हैः–

1– उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

2– जिलाधिकारी, हरिद्वार।

इस संबंध में जिला प्रशासन की ओर से उप जिलाधिकारी, भगवानपुर को नामित किया गया। उप जिलाधिकारी भगवानपुर की अध्यक्षता में क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रूडकी एवं अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत भगवानपुर द्वारा दिनांक 08.06.2023 को संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया।

अतः दिनांक 08.06.2023 को उक्त समिति द्वारा किए गए संयुक्त स्थलीय निरीक्षण की संयुक्त जांच आख्या संलग्न कर महोदय की सेवा मे सादर प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्न–यथोक्त।

(पी0एल0 शाह)
अपर जिलाधिकारी–प्र0
हरिद्वार।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सदस्य सचिव मुख्यालय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।

2– जिलाधिकारी महोदय की सेवा मे सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी–प्र0
हरिद्वार।

21/06/23

कार्यालय उप जिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट, भगवानपुर, जिला हरिद्वार।

संख्याः–2458/एस0टी0–उ0जि0म0(भग0)–2023 दिनांक 16 जून,2023

विषयः– मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0–213/2023 Palla & Ors Vs State of Uttarakhand में पारित आदेश दिनांक 28.04.2023 के अनुपालन के संबंध में।

909/ERK OC/LBA

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्रांक 896/एल0बी0ए0–2023 दिनांक 23.05.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0–213/2023 Palla & Ors Vs State of Uttarakhand में पारित आदेश दिनांक 28.04.2023 के अनुपालन हेतु अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता तथा क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रूड़की एवं अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, भगवानपुर की सदस्यता में जांच समिति गठित कर दिनांक 08.06.2023 को संयुक्त स्थलीय निरीक्षण करते हुए प्रकरण में मा0 एन0जी0टी0 में Factual and Action Taken Report नियमानुसार प्रेषित करने की कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रस्तुत संदर्भ में अवगत कराना है कि दिनांक 08.06.2023 को अधोहस्ताक्षरी एवं अन्य सदस्यों द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा प्रकरण में संयुक्त जांच आख्या प्रेषित करने पर इस दिनांक 16.06.2023 को जांच समिति द्वारा बैठक आहूत कर जांच आख्या को अन्तिम रूप देते हुए तैयार किया गया है।

अतः दिनांक 08.06.2023 को समिति द्वारा किए गए संयुक्त स्थलीय निरीक्षण की संयुक्त जांच आख्या मय अभिलेखों के संलग्न कर महोदय की सेवा में सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकः–यथौक्त।

भवदीय

(वृजेश कुमार तिवारी)
उप जिलाधिकारी/
उप जिला मजिस्ट्रेट,
भगवानपुर

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1– क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रूड़की को सूचनार्थ प्रेषित।

2– अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, भगवानपुर को सूचनार्थ।

उप जिलाधिकारी/
उप जिला मजिस्ट्रेट,
भगवानपुर

संयुक्त निरीक्षण आख्या

मा0 एन0जी0टी0 में मूल आवेदन सं0–213/2023 पाल्ला एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में मा0 एन0जी0टी द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में संयुक्त निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 में योजित प्रकरण के संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय के आदेश संख्या– 896/एल0बी0ए0–2023 दिनांक 23.05.2023 के अनुपालन के संबंध में प्रतिनिधि उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, भगवानपुर के साथ दिनांक 08.06.2023 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:–

निरीक्षण के समय पाया गया कि नगर पंचायत भगवानपुर के क्षेत्रान्तर्गत जनित होने वाले ठोस अपशिष्ट(कूड़ा) को सोलानी नदी के किनारे पर निस्तारित किया जा रहा है। उक्त ठोस अपशिष्ट निस्तारित स्थल नगर पंचायत भगवानपुर की भूमि पर स्थित है, जिसकी पुष्टि निरीक्षण के समय उस क्षेत्र के लेखपाल/राजस्व उप निरीक्षक द्वारा की गयी। (संलग्नक–01) संयुक्त निरीक्षण के समय ठोस अपशिष्ट स्थल पर ठोस अपशिष्ठ निस्तारित होता पाया गया। नगर पंचायत भगवानपुर 09 वार्ड में विभाजित है। नगर पंचायत भगवानपुर का गठन वर्ष–2014 में हुआ है। वर्तमान में नगर पंचायत, भगवानपुर के पास ठोस अपशिष्ट के निस्तारण/कलेक्शन 07 हेतु 07 हाथ गाड़िया, 03 छोटी गाड़ी(छोटा हाथी) एवं 03 ट्रेक्टर ट्रॉली की व्यवस्था है। नगर पंचायत, भगवानपुर द्वारा ठोस अपशिष्ट को निस्तारित करने हेतु ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन और हाथलन) नियम–2016 में उल्लेखित प्राविधानों का पूर्ण रूप से पालन नही किया जा रहा है। सोलानी नदी में मुख्यतः वर्षा जल प्रवाहित होता है, किन्तु नदी में अल्प मात्रा में जल प्रवाह वर्ष भर बना रहता है। चूंकि ठोस अपशिष्ट निस्तारण स्थल नदी के किनारे स्थित है। अतः अधिक मात्रा में नदी में जल आने से ठोस अपशिष्ट का सोलानी नदी में जाने की संभावना है। ठोस अपशिष्ट को नदी के किनारे कच्ची भूमि पर ही निस्तारित किया जा रहा है। कूड़ा निस्तारण स्थल पर किसी प्रकार की शेड़ एवं बाउन्ड्रीवाल का निर्माण नही किया गया है। ठोस अपशिष्ट को बिना Segregate किये ही स्थल पर निस्तारित किया जा रहा है।

नगर पंचायत भगवानपुर को उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ठोस अपशिष्ट निस्तारण स्थल के लिये प्राधिकार वर्तमान तक प्राप्त नही है। नगर पंचायत, भगवानपुर को ठोस अपशिष्ट स्थल पर भूमि पर पक्का चबूतरा, शेड व बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य किया जाना अति आवश्यक है। इस हेतु संयुक्त जांच टीम द्वारा निर्देशित किया गया। साथ ही ठोस अपशिष्ट को नियमानुसार पृथ्यक करके बायोकम्पोस्टिंग वार्ड आदि का निर्माण कार्य नगर पंचायत, भगवानपुर द्वारा किया जाना आवश्यक है।

अतः संयुक्त निरीक्षण आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही सादर प्रेषित है।

(नौशाद हसीन)
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत,भगवानपुर।

8/06/23
(डा0 अजीत सिंह)
प्रतिनिधि उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
रूड़की

(वृजेश कुमार तिवारी)
उप जिलाधिकारी, भगवानपुर/
नामित नोड़ल अधिकारी

महोदय,

नगर पंचायत क्षेत्र भगवानपुर के अन्तर्गत माननीय एन. जी. टी. मे योजित प्रकरण के सम्बन्ध मे जिलाधिकारी महोदय हरिद्वार के अनुपालन मे श्रीमान अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत भगवानपुर, श्रीमान उपजिलाधिकारी, प्रतिनिधी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड रुड़की के साथ अपशिष्ट (कूड़ा) को निस्तारित किये जाने के स्थल का मौके पर संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण किया गया, कूड़े को जिस भूमि पर निस्तारित किया जा रहा है, राजस्व अभिलेखो के अनुसार भूमि खसरा न. 44 क्षेत्रफल 1.3927 है॰ भूमि v बंजर श्रेणी 5(3)क के रूप मे दर्ज है। जो नगर पंचायत भगवानपुर के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है। रिपोर्ट सेवा मे सादर प्रेषित।

16/6/23
अजय कपिल
रा0 उप0 निरीक्षक